

25/4/19

प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. का पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी होकर मिसल दिनांक 22/5/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

22/5/19 पक्षावली पेश हुई वकील प्रार्थी एफ.पी. वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्त अन्तर्गत आदेश 9 (R) CPC का स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रा.पत्त का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पता गया कि न्यायाद्वैत में प्रार्थी वकील का एक प्रा.पत्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी वकील का प्रा.पत्त अन्तर्गत आदेश 9 (R) CPC का स्वीकार कर मुद्दा वाद सं 179/2013 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल फिसल सुमार दोब्बर मुलवाद के साथ नत्बी है।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

नम्बर से दर्ज किय जाने का आदेश फरमावे। दिनांक :- 25/4/19